International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बिहार में सुशासन और विधि व्यवस्था

डॉ0 रेणु कुमारी

अतिथि सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

भारती मंडन महाविद्यालय, रहिका, मधुबनी

शोध सारांश :

सुशासन की अवधारणा निर्दिवाद रूप से नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वाधीनता और उनकी खुशियों से जुड़ी है। लोकतंत्र में कानून के शासन के द्वारा ही यह सब सुनिश्चित किया जा सकता है। कानून के शासन की सर्वसम्मत अवधारणा यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हैं। कानून का शासन ऐसा स्थापित तथ्य है जिसके समक्ष सभी समान है। यह औपचारिक और क्रियाविधिक न्याय प्रणाली के खासतौर से सुरक्षित किया गया है जिसके कारण ही स्वतंत्र न्यायपालिका शासन के लिए महत्त्वपूर्ण औजार के समान है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को कानून में बराबर के अधिकार दिए गए हैं और कानून के मुताबिक बराबर की सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, जबतक कि कानून द्वारा स्थापित प्रावधानों में ऐसी जरूरत न हो। इस प्रकार राज्य हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और स्वाधीनता की रक्षा के लिए बाध्य

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

है। बिहार में विधि–व्यवस्था को लेकर दशकों से प्रश्न उठते रहे हैं। जब भी नयी सरकार शासन सँभालती है, विधि–व्यवस्था में सुधार उसकी प्राथमिकता होती है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि विधि–व्यवस्था दिनोंदिन बिगड़ती ही गई। खासकर श्री लालू प्रसाद के शासन–काल में दिन–दहाड़े चौराहे पर अपराधी किसी को गोली मार देता था, लूट–पाट करना आम बात थी, परन्तु न तो जनता की जबान खुलती थी और न पुलिस उसके विरूद्ध कुछ कर सकती थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार जबसे बनी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। इनकी सरकार सुशासन की सरकार कहलाई। इस सरकार ने अपराध–अपराधी और अपहराण को नियंत्रण करना अपना प्रथम आवश्यकता में शामिल किया।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु : स्वाधीनता, लोकतंत्र, कानून का शासन, क्रियाविधिक, संवैधानिक, प्रावधान, सुरक्षा का अधिकार, अपहरण, अपराध–अपराधी।

प्रस्तावना :

सुशासन के अन्तर्गत राज्य हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और स्वाधीनता की रक्षा के लिए बाध्य है। कानून के स्तर पर किसी भी प्रशासनिक कार्य की जाँच करने का अंतिम अधिकार न्यायालय को ही है। अगर कोई भी प्रशासनिक या कार्यपालक कार्रवाई कानून

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो पीड़ित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में उचित मामला दाखिल करने के साथ ही उस कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है। इस प्रक्रिया का आपश्यक उपसिद्धांत ही 'न्यायिक सक्रियता' के रूप में जाना जाता है। हमारा संविधान दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे समानता का निर्णायक भाव परिलक्षित होता है। एक सभी के लिए अवसरों की समानता और दूसरा, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर करने का सिद्धांत। सवाल यह नहीं है कि किस तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण से चीजें बेहतर हो सकती है, बल्कि वास्तव में किस तरह सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग लाभान्वित हो पाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर सकारात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के तहत राज्य को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वे न सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों – जनजातियों की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करें, बल्कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान बनाएँ।[1]

सुशासन की प्रमुख चुनौतियाँ राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की है। राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और नेताओं, लोकसेवकों और व्यापारिक घरानों के बीच की साठ–गांठ का शासन और लोक नीतियों के कार्यान्वयन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

राजनीतिक जमात तो अपना आदर ही खो रही है। यह सही है कि आमजन और मीडिया मूकदर्शक नहीं है। न्यायिक जवाबदेही ने कई विधायकों और मंत्रियों यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने में सफलता हासिल की है। लेकिन कानून की आंख में धूल झोंकने के भी कई तरीके ईजाद किये जा चुके हैं। मुकदमे का सामना कर रहे कई अपराधी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और खुलेआम घूमते हैं। यह जरूरी है कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। यह समय की मांग है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 में संशोधन कर ऐसे लोगों को अयोग्य करार दिया जाए जिन पर न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर आरोप निर्धारित किए हैं।

देश व प्रदेश में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बड़ी रूकावट साबित हो रहा है। जहाँ मानवीय लालच स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वहीं आधारभूत कारक और भ्रष्ट व्यक्ति को सजा देने की लचर प्रणाली से देश व प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। ऐसे में लोक जागरूकता की मजबूती के लिए जागरूक कार्यक्रम और वर्तमान भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की मजबूती की खास आवश्यकता होगी। लोक प्रशासन में सूचना का संवैधानिक अधिकार एक महत्त्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बिहार में 90 के दशक के दौरान विधि–व्यवस्था पूर्णतः लचर गई थी। रंगदारी वसूलना आम बात हो गई और बिना परिश्रम के धनवान बनने का आसान तरीका हो गया। अपहरण की घटनाएँ दिनोंदिन बढ़ने लगी, किसी व्यवसायी, उद्योगपति, बैंक अधिकारी, अभियंता और डॉक्टर का अपहरण करना आम बात हो गई। पुलिस छापा मारती रही अपहरणकर्त्ता फिरौती की रकम लेकर छोड़ देता। ऐसे भी दृष्टान्त मिले हैं, जिस अपहरण में पुलिस का सक्रिय हाथ रहा है। कानून से न डरने का एक मुख्य कारण या अपराधियों को असरदार नेताओं और कहीं–कहीं सरकारी तंत्र का संरक्षण मिलना। अपराधकर्मियों को विश्वास हो गया कि ‘‘सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहे का’’, कानून का भय, पुलिस का भय और न्यायालय का भय समाप्त सा हो गया। इस स्थिति को बदलना आवश्यक हो गया। इसके लिए शासन को यह एहसास करना होगा कि उसका काम जनता के जान–माल की रक्षा करना है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। सर्वस्यास्य यथा न्याय कर्त्तव्य परिक्षणम्। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत कम होती है। वे भी समाज के सदस्य हैं; किसी का बेटा, किसी का भाई, या किसी के पिता होते हैं, अतः ऐसे लोगों की पहचान करना कठिन काम नहीं है। इसके लिए समाज के ही अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अपराधी के विरूद्ध बोलनेवाला दूसरे दिन अपराधी का शिकार हो जाता है। उसे पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाती।[2]

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आज के गुण्डों, रंगदारों, अपहरणकर्त्ताओं को जनता, पुलिस और प्रशासन के लोग पहचानते हैं, जानते हैं, फिर भी उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन अपराधियों का सीधा संबंध राजनेताओं से है, जो उनके बचाव में सदैव खड़े रहते हैं। बदले में वे उनका उपयोग चुनाव के दौरान मत लूटने में करते हैं। इस वातावरण को बदलने के लिए किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। वह समाजसेवक हो सकता है, समाज का सदस्य हो सकता है या जनता स्वयं हो सकती है। पुलिस और प्रशासन का तो यह दायित्व है।

बिहार को जेलों में क्षमता से दो–तीन गुना अधिक कैदी रखे जाते हैं, फिर भी अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती जाती है। इसका एक सीधा निष्कर्ष निकलता है कि जेलों में बंद अधिकतर कैदी अपराधी नहीं है। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए भले लोगों को जेल भेज देती है और वह जनता को जबाव दे देती है कि इतने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सही अपराधी को पकड़ने से अपराध की घटनाओं पर तुरन्त असर दिखाई पड़ता है। जेलों में बन्द लोगों की संख्या घटाकर सही अपराधियों को जेल के अंदर भेजने से अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिहार के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

न्यायालय प्रशासन की स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती। हत्या, डकैती, अपहरण जैसे अपराधों से जुड़े अपराधियों को समय पर सजा नहीं मिल पाती। कुछ दिन बाद वे जमानत पर रिहा होकर गवाहों को धमकाते हैं और अपने पक्ष में बयान देने के लिए विवश कर देते हैं और अन्ततः वे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें सब कुछ ठीक होते हुए भी अपराधी को सजा मिलने में बीस–बाईस साल का समय लग जाता है। ऐसी सजा का अपराध के नियंत्रण पर कोई असर नहीं होता। यदि ऐसे मामलों का निबटारा घटना के छह माह के अंदर हो जाए तो अपराधी अपराध करने से डरेंगे, जनता को न्याय–प्रक्रिया पर विश्वास होगा और अपराध नियंत्रित हों सकेंगे। अपराधों के त्वरित निष्पादन के लिए न्याय प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमें याद है, जब लम्बित मामलों की समीक्षा की जाती थी। पुराने और जघन्य अपराध, जिनके निष्पादन का प्रभाव समाज पर और अपराध–नियंत्रण पर पड़ता था, उन्हें शीघ्र निष्पादित करने के निर्दश दिये जाते थे।

सुशासन तभी स्थापित हो सकता है जब विधि–व्यवस्था चुस्त दुरूस्त हो। विधि–व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाना आवश्यक है। अन्वेषण की सुविधाएँ, आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण, अपराधियों को पकड़ने में राजनीतिक हस्तक्षेप पर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

नियंत्रण की आवश्यकता होगी। पुलिस को भी कानून का मातहत बनने का प्रशिक्षण, मानसिकता–परिवर्तन और सही काम करने की सहूलियत देना आवश्यक है। आज की स्थिति में पुलिस प्रशासन का खुलकर दुरूपयोग राजसत्ता में बैठे लोग करते हैं और पुलिस पदाधिकारी कुछ क्षणिक लाभ के लिए राजसत्ता के दबाव में काम करते हैं। इसका सीधा लाभ अपराधियों को मिलता है।

प्रशासन वर्ग भी समाज का अभिन्न अंग होता है। जब सामाजिक स्तर में गिरावट आती है तो उस गिरावट से प्रशासक वर्ग भी अछूता नहीं रह पाता। भ्रष्टाचार का संकट, सम्प्रदायिकता तथा जातीयता का उन्माद, उपभोक्तावाद का मोह तथा अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियों ने समाज को रोगग्रस्त कर दिया है। जब तक इन व्याधियों के उन्मूलन के लिए समुचित सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकतीं, जब तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नही हो पाएँगी तब तक आम नागरिकों की इज्जत की जिन्दगी जीने के मौलिक अधिकार की सुरक्षा नहीं हो पायेगी।[3] विधि–व्यवस्था की शिथिलता के कारण राजनेताओं, अफसरशाहों एवं अपराधियों के गंठजोड़ की कोख से ही बड़े–बड़े घोटाले निकले हैं। और इन घोटालाओं का सबसे दुखदायी एवं मार्मिक पहलू यह है कि जिस मद का करोड़ों रूपया डकारा गया वह सम्पन्न वर्ग या मध्य

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वर्ग का नहीं था बल्कि निरीह जानवरों के निवाले (चारा) का था या फिर बाढ़ की विभीषिका झेलते, डूबते एवं उजड़े मजबूर एवं गरीब–गुरबों के मद का था, जिसकी राजनीति करने का दम्भ बिहार के गरीबों के राजा एवं दलितों के मसीहा करते हैं। संक्षेप में, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जंगलराज के अलंकार से विभूषित इस राज्य में प्रशासनिक पदाधिकारी, कानूनी प्रावधानों के आलोक में कार्य करने के बजाय अपने जातीय दबंग, भ्रष्ट एवं अपराधी चरित्र वाले नेताओं के इशारे पर कानून की धज्जियाँ उड़ाने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करते, यह प्रदेश की नंगी सच्चाई है।[4]

लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में फैसले लेने की प्रक्रिया भी जटिल एवं समयसाध्य रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में दंड देने की न्यायिक प्रक्रिया भी लंबी व उबाऊ होने से धीरे–धीरे दोषियों के बच निकलने का रास्त भी बनता रहा है। कुल मिला कर जन–मानस पर यह असर पड़ता है कि सरकारें भ्रष्टाचार निवारण के मामले में सुस्त है और बेहद उदासीन है। इससे निराशा बढ़ती है और जन असंतोष को बढ़ावा मिलता है। इसका नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार राजनीति का एजेंडा बनता जाता है। परन्तु राजनीतिक संस्कृति इस तरह की है कि जनता किसी को भी दूध धुला मानने को तैयार नहीं होती है। वास्तव में प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाना ही भ्रष्टाचार निवारण की कुंजी है। सरकार में बैठे प्रभावी लोगों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

के विवेकाधीन अधिकारों में कटौती करने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता का समावेश हो और किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना खत्म हो सके। तभी सुशासन प्रतिस्थापित हो सकता है।[5]

यह समझना मुश्किल नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों पर निष्पक्षता के साथ निर्वाचित सरकारों के गठन के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना भी सुशासन की अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा जबावदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा जनता को प्रभावी एंव दक्षतापूर्ण तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ सुलभ करवाना भी सुशासन का अभिन्न अंग है। परन्तु बिहार में लालू प्रसाद की सरकार ने सुशासन के दायित्व को समझा ही नहीं बल्कि अपने कुकृत्यों से बिहार को बदनाम किया। इनके शासनकाल में अपराधी हत्या, लूट, अपहरण कर जेल चले जाते थे और जेल से सामान्तर सरकार चला रहे थे। ऐसा दृश्य किताबों, ग्रंथों और सिनेमा हॉल में ही पढ़ने, देखने और समझने को मिलता है लेकिन बिहार में खुले आम हो रहा था। इसलिए उस सरकार को नीतीश कुमार ने कुशासन की सरकार कहा और रामविलास पासवान ने जंगल राज से अलंकृत किया।[6]

श्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो वे अपराध पर नियंत्रण करना प्रारंभ किए। जब राज्य के मुखिया कानून की बात

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

करने लगे और नेताओं का हस्तक्षेप अपराधियों के पक्ष में नहीं होने लगा तो बिहार पुलिस का मनोबल ऊठा और पुलिस अपने को गर्व महसूस करने लगी, फलस्वरूप अपराधियों पर पुलिस की नजरें भी कड़े होने लगे। पूर्व से ही जेल से अपराधी, अपराध और अपहरण कर रहे थे, इससे निजात पाने के लिए इस सरकार ने जेलों में छापा देना प्रारंभ कर दिया और अपराधियों को जो सुख–सुविधा जेल से प्राप्त था, उस पर रोक लग गया। सैकड़ों मोबाइल, फोन, टेलीविजन इत्यादि जप्त किया गए। जेल में बंद अपराधियों पर विशेष न्यायालय की व्यवस्था कर उनके मुकदमें की सुनवाई जेल में ही होने लगी। फलस्वरूप तीव्रता से कई दागी राजनेताओं को मुकदमें में दोषी पाया गया और उन्हें सजा हो गई। इस प्रकार जब सरकार से किसी प्रकार के सहयोग सफेदपोश अपराधियों को नहीं मिला तो वे शांत हो गए। यह संदेश बिहार की मीडिया में भी खूब उछाल रही थी। इसका प्रचार–प्रसार भी खूब हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि अपराधियों का मनोबल टूट गया। इस प्रकार अपराध–अपराधी और अपहरण पर नीतीश सरकार रोक पाने में सफल हुई।

बिहार सरकार ने भ्रष्टाचारियों की अवैध सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष निगरानी अदालत का गठन अगस्त 2010 में किया और अवैध सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया। 24 सितम्बर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

2008 को निगरानी अन्वेषण व्यूरो की टीम ने तत्कालीन एम. वी. आई. रघुवंश कुँवर औरंगाबाद को 50000 (पचास हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद निगरानी की टीम ने कुंवर के पटना, समस्तीपुर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के पश्चात् उनके पास अवैध सम्पत्ति का पता चल था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि श्री कुंवर ने सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्ट तरीके से करीब 45 लाख रूपये की अवैध चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की है। इसके बाद निगरानी व्यूरो ने अवैध सम्पत्ति को जब्त करने के लिए विशेष अदालत में मई 2009 में आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया था। निगरानी की विशेष अदालत ने हाल ही में बने नये कानून के तहत पहला फैसला भ्रष्टाचारियों की अवैध सम्पत्ति जब्त करने संबंधी कानून के तहत रघुवंश कुंवर और उनकी पत्नी ललिता देवी के पास आय से अधिक 45 लाख की अवैध सम्पत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया। यह मामला अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र चार माह में ही निपटारा करते हुए निगरानी के विशेष माननीय न्यायधीश श्री रमेश चन्द्र मिश्र ने 10–12द्य–2010 को अभियुक्तों को निर्देश दिया कि वे विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर संबंधित जगहों के जिलाधिकारी आय से अधिक चल–अचल सम्पत्ति का कब्जा सौंप दे।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

इस प्रकार बिहार में सुशासन का राज कायम हुआ। विधि–व्यवस्था पटरी पर आयी।

निष्कर्ष :

सरकार की दृढ़ इच्छा अगर हो तो निश्चित रूप से सुशासन कायम किया जा सकता है और विधि व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त किया जा सकता है। बिहार में खासकर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में सुशासन देखा गया। इस सरकार के गठन के पूर्व बिहार को जंगल राज की उपमा दी जा रही थी। अपराधी, अपराध और अपहरण का बोलबाला था। गांव–शहर में आमजन शाम होते–होते दुबक जाते थे। जहाँ सांझ वहीं विहान की कहावत चरितार्थ हो रहा था। आमजन अपहरण, हत्या–लूट और चोरी–डकैती से त्रस्त था। नई सरकार ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया और अपने छः माह के राजकाज में विधि–व्यवस्था को निश्चित रूप से चुस्त–दुरूस्त किया। अपहरण व्यवसाय करीब नब्बे प्रतिशत बंद हो चुका है। अधिकांश अपराधी जेल भेजे गए और कुछ मारे गए। इस बढ़ती आबादी में शत–प्रतिशत अपराध को नियंत्रित कोई नहीं कर सकता है। नब्बे प्रतिशत अपराध बंद करना अपने–आप में ऐतिहासिक कदम है। लोकतंत्र की मांग है – अनुशासन, सहिष्णुता और पारस्परिक सद्भाव एवं आदरभाव। इस सिद्धांत का पालन करते हुए बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

चूंकि लोकतंत्र में सभी नीतियाँ जनता के लिए और जनता के हित में बनती है और उसका कार्यान्वयन भी किया जाता है। बिहार में अभी तक प्रायः सभी नीतियाँ नीतीश कुमार द्वारा जनहित में ही बनाई गई है। सामाजिक न्याय की दिशा में भी सरकार ने महत्त्वपूर्ण पहल किया। वैसे तो लालू प्रसाद को बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन सही अर्थों में उनका सामाजिक न्याय केवल परिवार तक सीमित रहा। नीतीश कुमार ने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने महादलितों को, वंचित तबकों को दबंगों के आगे प्राथमिकता दिया। सड़क–निर्माण, स्कूली बच्चों को उचित शिक्षा के लिए साइकिल, पोशाक और मीड डे मील देने की व्यवस्था, शहरों और गांवों में कम से कम छह घंटे तक बिजली आपूर्ति पर ध्यान दिया। शराब बंदी, दहेज निरोधक कानून, बाल विवाह पर नियंत्रण आदि कार्यक्रमों से बिहार में एक नई राह पकडत्री है। यह विकास पथ पर अग्रसर है।

संदर्भ :

1. सिंह, वाल्मीकि प्रसाद भारत में सुशासन की चुनौतियाँ, योजना, जनवरी 2013, पृ.–09
2. आर्य, जिया लाल, बिहार में विधि–व्यवस्था और सुधार, बिहार रास्ते की तलाश, सं0 हरिवंश एवं फैसल अनुराग, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2011, पृ.–271

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Volume 8 -Issue 10– October 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

3. कुमार, आई. सी., प्रशासन में भी परिवर्तन चाहिए, बिहार रास्ते की तलाश सं0 हरिवंश एवं फैसल अनुराग, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2011, पृ.–278
4. नारायण, जिनेन्द्र, बिहार की धरती – भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला, बिहार रास्ते की तलाश सं0 हरिवंश एवं फैसल अनुराग, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2011, पृ.–48
5. पपनै, कैलाश चन्द्र, पारदर्शिता व दक्षता से सुशासन संभव, योजना, जनवरी, 2013, पृ.–38
6. राम, ई. एच. एल., शिखर की ओर बिहार, जानकी प्रकाशन, पटना, 2011, पृ.–31